

भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक: 27 अप्रैल, 2007

सं. IV/12013/9/2004-सीएसआर- गृह मंत्रालय की दिनांक 30 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. IV/12013/9/2004-सीएसआर के क्रम में संघ सरकार एतद्द्वारा केन्द्र-राज्य संबंध आयोग का निम्न प्रकार गठन करती है: -

- (i) न्यायमूर्ति श्री मदन मोहन पुंछी (सेवानिवृत्त) ----- अध्यक्ष
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
- (ii) श्री धीरेन्द्र सिंह, ----- सदस्य
आई ए एस (कर्नाटक:68) (सेवानिवृत्त)
भारत सरकार के पूर्व सचिव
- (iii) श्री विनोद कुमार दुग्गल, ----- सदस्य
आई ए एस (एजीएमयू:68) (सेवानिवृत्त)
भारत सरकार के पूर्व सचिव
- (iv) डा. एन. आर. माधव मेनन, ----- सदस्य
पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल
एवं नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इण्डिया, बंगलौर

2. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल उनके द्वारा अपना कार्य भार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक अथवा आयोग के कार्यकाल तक होगा।

3. श्री धीरेन्द्र सिंह, आई ए एस (कर्नाटक: 68) (सेवानिवृत्त) तत्काल प्रभाव से केन्द्र-राज्य संबंध आयोग के सचिव नहीं रहेंगे।

(के. स्कन्दन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23093126

2005/82.mj